कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135–2608763, फैक्स 0135–2608746

पत्र संख्याः–1प/रा0पु0/6/2024/ . देहरादूनः दिनांक 21 मई, 2024

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
   गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,**
   उत्तराखण्ड।
4. **प्रधानाचार्य,**
   सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र,
   मोतीनगर हल्द्वानी, नैनीताल/चन्द्रनगर, देहरादून।

विषयः– **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत समस्त कार्मिकों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जाने हेतु दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र एवं सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत समस्त संवर्गो को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत आगामी स्थानान्तरण सत्र में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किया जाना है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 04 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो तो दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने तथा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 03 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा जिनकी सम्पूर्ण सेवा काल में सुगम क्षेत्र में कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हो सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र है।

इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों की स्थानान्तरण सूची जनपदों से प्राप्त कुछ चिकित्सकों के स्थानान्तरण/पूर्व तैनातियों की सूचना एवं महानिदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार तैयार की गयी है। जनपद देहरादून, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़ द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करायी गयी है। जिस कारण विगत वर्ष की सूचना के आधार पर सूची तैयार की गयी है। पूर्ण सूचना न भेजने हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अतः स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त सूचना (स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की बेव साइड https://health.uk.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। उक्त प्रदर्शित की जा रही सूचियों में यदि किसी चिकित्सा अधिकारी के सुगम एवं दुर्गम

अवधि में कोई त्रुटि/भिन्नता है तो तत्काल 03 दिन के भीतर नियन्त्रक अधिकारी के माध्यम से विशेष पत्र वाहक द्वारा सही सूचना इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें।

उक्त के अतिरिक्त जिन चिकित्सको के विवरण अंकित नही किया गया है अथवा सूचियों से नाम छूट गया हो, तो ऐसे चिकित्सक भी अपने पूर्व की समस्त तैनाती का पूर्ण विवरण भी अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से महानिदेशालय को 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराये।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 दुर्गम स्थान एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 सुगम स्थानों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–23 (स्थानान्तरण हेतु समय सारणी) के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के विकल्प/आवदेन पत्र तय समय के अन्तर्गत ई–मेल (karmik1dgmhuk@gmail.com) एवं विशेष पत्र वाहक के माध्यम से 03 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **यदि कोई कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही कार्य करना चाहते हो तो उनसे आवेदन पत्र प्राप्त कर महानिदेशालय को उपलब्ध कराये।**

यदि उक्तानुसार प्रदर्शित की गई सूचियों में किसी भी चिकित्सक द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन नही दिया जाता है, तो उक्त सूची को ही अन्तिम रूप से सही मानते हुये स्थानान्तरण हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा इस हेतु सम्बन्धित चिकित्सक स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

(अजीत मोहन जोहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

संख्याः–1प/रा0पु0/6/2024/ 13994 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. डा0 कुलदीप मर्तोलिया, नोडल अधिकारी (आई0टी0 सैल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची बेव साइड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित।
2. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जोहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)